सीमित निविदात्मक प्रक्रिया के माध्यम से
भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020
के डिजाइन और मुद्रण के लिए बोली हेतु अनुरोध

कॉर्पोरेट संचार प्रकोष्ठ
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
चौथी मंजिल, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003

<u>बोली विवरण</u>		
1.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	01/12/2020 15.00 बजे
2.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	03/12/2020 (सटीक समय सूचित किया जाएगा)
3.	संपर्क व्यक्ति	श्री नीलाद्री बोस - क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री सुकृति वाधवा, प्रबंधक
4.	बोलियां खोलने का स्थान	कॉर्पोरेट संचार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय चौथी मंजिल, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता में है, इसका प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद

में है।

1. प्रयोजन

राष्ट्रीय आवास बैंक (तत्पश्चात रा.आ.बैंक के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, आवास की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट 2020 की डिजाइनिंग और मुद्रण के लिए पैनल में शामिल वेंडरों (जिनका दिल्ली / एनसीआर में कार्यालय है) से बोलियों का अनुरोध कर रहा है।

2. कार्य-क्षेत्र

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3. बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

4. बोली की लागत

बोलीदाता तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम के बिना रा.आ.बैंक किसी भी हालत में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

5. बोली दस्तावेज

बोलीदाता से बोली दस्तावेज़ में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। बोली की प्रस्तुति जो हर तरीके से बोली दस्तावेज के प्रति उत्तरदायी नहीं है, प्रत्येक बोलीदाता के जोखिम पर होगा और इसके परिणामस्वरूप बोली बोलीदाता को बिना किसी आगे संदर्भ के अस्वीकृत कि जा सकती है।

6. बोली दस्तावेज में संशोधन

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय से पहले किसी भी समय, रा.आ.बैंक एकमात्र विवेक पर किसी भी कारण से, बोली दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। सभी संशोधनों को **सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।**

भावी बोलीदाताओं को उनकी बोली तैयार करने में संशोधन यदि कोई हो उचित समय प्रदान करने के लिए, रा.आ.बैंक अपने विवेक से, बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकती है।

7. वैधता अवधि

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से छह महीने के लिए बोली वैध रहेगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को गैर-उत्तरदायी के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8. बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

9. बोली प्रक्रिया

वर्तमान कार्य के प्रयोजन हेतु, बोलीदाता को केवल मुहरबंद लिफाफे में बोली जमा करनी होगी, जिसके ऊपर "**डिजाइनिंग एवं मुद्रण हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध**" लिखा हो। रा.आ.बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा पद्धति "दो बिली प्रणाली" यानी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली होगी, प्रत्येक को अलग-अलग लिफाफे में दिया जाएगा, दोनों को फिर एक ही लिफाफे में रखा जाएगा और रा.आ.बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

तकनीकी बोली में कोई मूल्य निर्धारण या वाणिज्यिक जानकारी नहीं होगी अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

बोली को अमिट स्याही में लिखा या टाइप किया जाएगा और बोलीदाता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा बोली के सभी पृष्ठों को आद्याक्षरित किया जाएगा।

जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली योग्य पायी जाती है, उन्हें वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सभी तकनीकी रूप से छोटे सूचीबद्ध बोलीकर्ताओं को लिखित / मेल में अलग से सूचित किया जाएगा।

10. बोलियों की प्रस्तुति

बोलीदाताओं को लिफाफे को विधिवत सील करना होगा और उसके ऊपर उचित रूप से लिखना होगा।

बोली को निम्नलिखित पते पर रा.आ.बैंक को भेजा जाना चाहिए और इस दस्तावेज़ के पृष्ठ 2 पर उल्लिखित समय और तारीख तक पहुंचना चाहिए।

महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट संचार प्रकोष्ठ
राष्ट्रीय आवास बैंक,
प्रधान कार्यालय
चौथी मंजिल, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

11. बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय

बोलियां बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पते पर रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए और बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि और समय या खंड 6 के अनुसार रा.आ. बैंक द्वारा विस्तारित समय के बाद नहीं पहुंचना चाहिये। जमा करने की निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में जिन बोलियों को बैंक में अवकाश घोषित समय पर जमा किया जा रहा है, वे बोलियां अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय तक प्राप्त की जाएंगी।

12. समय निर्धारण प्रक्रिया के लिए समय सीमा निम्न है:

बोली जमा करने की अंतिम तिथि	01/12/2020 15.00 बजे तक
बोली खोलने की तिथि और समय (तकनीकी)	03/12/2020 (सटीक समय बाद में बताया जाएगा)
तकनीकी बोली मूल्यांकन / प्रस्तुति	बोलीदाताओं के लिए उनकी तकनीकी बोली पर एक प्रस्तुति देने के लिए एक तिथि सूचित की जायेगी
वित्तीय बोली खोलना	तकनीकी बोली मूल्यांकन के बाद निर्णय लिया जायेगा। वित्तीय बोली खोलने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा।

कोविड महामारी के चलते बोलियाँ / बैठक की प्रस्तुतियाँ ऑन-लाइन मोड में आयोजित की जा सकती हैं।

13. विलंब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

14. बोलियों में संशोधन और/ या आहरण

- एक बार प्रस्तुत की जाने वाली बोलियों को अंतिम माना जाएगा और मामले में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी।
- यदि बोलीदाता एक सफल बोलीदाता है तो भी उसे या किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सामग्री

<u>बोली लिफाफे (सील कवर) में आवश्यक दस्तावेज:</u>

i. तकनीकी बोली
ii. वाणिज्यिक बोली

16. बोली खोलना एवं मूल्यांकन

रा.आ.बैंक बोलीकर्ताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बोली खोलेगा, जो "बोली प्रस्तुत करना" शीर्षक वाले खंड -9 में दिए गए पते पर बोली दस्तावेज में उल्लिखित समय और तारीख में भाग लेने हेतु इच्छुक हैं।

जो बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, वे अपनी उपस्थिति का उल्लेख करते हुए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। बोली खोलने की निर्दिष्ट तारीख की स्थिति में, जमा करने की निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में जिन बोलियों को बैंक में अवकाश घोषित समय पर जमा किया जा रहा है, वे बोलियां अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय तक खोली जाएंगी।

बोलीदाता जो रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते है और इस दस्तावेज के नियमों और शर्तों को स्वीकार करते है उन्हें वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए लघु-सूचीबद्ध किया जायेगा। रा.आ.बैंक किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

17. बोली प्रक्रिया हेतु मूल्यांकन मानदंड

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

18. बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए, रा.आ.बैंक अपने विवेक से,

बोलीदाता से स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी।

19. प्रारंभिक जांच

रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या कोई कम्प्यूटीकृत त्रुटियां हुई हैं, क्या बोली दस्तावेज में रेखांकित रूप में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है, क्या दस्तावेजों को ठीक से हस्ताक्षरित किया गया है, और क्या बोलियां आमतौर पर क्रम में हैं।

विनिर्देशों के अनुसार आदेश में निर्धारित बोली को रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20. रा.आ.बैंक के कर्मियों के लिए अनौपचारिक दृष्टिकोण

रा.आ.बैंक की बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या अनुबंध अवॉर्ड निर्णय में रा.आ.बैंक को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

21. किसी भी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का रा.आ.बैंक का अधिकार

रा.आ.बैंक किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है और किसी भी समय अनुबंध सौंपने से पहले सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकता है।

22. समाप्ति, अर्थदंड खंड

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

23. संपत्ति पर कॉपीराइट

किसी भी प्रलेखन, डिजाइन, कला कार्य, चित्र आदि सहित विकसित किए गए कार्यों में सभी संपत्ति अधिकार विकसित किए गए हैं और रा.आ.बैंक की परियोजना में शामिल कंपनी या उसके कर्मियों द्वारा सेवाओं के प्रदर्शन के दौरान किए गए कोई भी अतिरिक्त कार्य **राष्ट्रीय आवास बैंक** से संबंधित हैं।

वेंडर को काम पूरा होने के बाद रा.आ.बैंक को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

बोलीदाता इस पर कोई कॉपीराइट नहीं रखेगा।

24. संविदा पूर्व प्रमाणिकता संधि

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

25. स्वतंत्र बाह्य जांचकर्ता (आईईएम)

इस दस्तावेज के उद्देश्य से नियुक्त आईईएम का विवरण निम्नानुसार है:

(1) श्री किशोर कुमार सांसी ई-मेल आईडी: kishoresansi1@gmail.com

(2) श्री राकेश रेवाड़ी ई-मेल आईडी: r_rewari@yahoo.com

26. कर

प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दर के अनुसार वास्तविक आधार पर केवल रा.आ.बैंक द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी करों को बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। रा.आ.बैंक स्रोत पर ऐसे कर कटौती को अधिकृत करने के लिए अधिकृत है, जो सलाहकार को किए गए भुगतान के संबंध में कानून / नियमों के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What’s New

*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX